रजिस्ट्री सं० डीएल-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 31, 1997/श्रावण 9, 1919
No. 143] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 31, 1997/SHRAVANA 9, 1919

वाणिज्य मंत्रालय

प्रारम्भिक कार्रवाई की अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1997

विषय : चीन से मैगनेशियम के आयात के बारे में प्रति-पाटन जांच की शुरूआत

सं. 7/1/97-ए.डी.डी.—मैसर्स सदर्न मैगनेशियम एण्ड केमिकल्स लिमिटेड ने घरेलू उद्योग की ओर से सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, आकलन और वसूली तथा क्षतिनिर्धारण) नियम 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (दूसरे बाद प्राधिकारी के रूप में उल्लेख किया जाएगा) के समक्ष याचिका दायर की है जिसमें चीन से मैगनेशियम के पाटन का आरोप लगाया गया है और प्रतिपाटन जांच करने एवं प्रति पाटन शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है।

1. **स्थिति :** याचिकाकर्ता संबंधित वस्तु का एकमात्र उत्पादक है और इस प्रकार घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने की स्थिति में है।

2. **इसमें शामिल उत्पाद :** इस जांच में शामिल उत्पाद चीन जनवादी गणराज्य मूल का या वहां से निर्यात किया गया मैगनेशियम है। मैगनेशियम को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की उप-शीर्ष 8104.11 एवम् 8104.19 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। लेकिन यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

3. **समान वस्तुएं :** चीन द्वारा निर्यातित वस्तुएं तथा याचिका कर्ता द्वारा उत्पादित की जा रही वस्तुओं का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा रहा है और इस प्रकार उनके गुण एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तुओं को नियमों के अर्थ के अन्तर्गत चीन द्वारा आयातित वस्तुओं के समान वस्तु माना जा सकता है।

4. **पाटन और डम्पिंग मार्जिन :**

(क) **सामान्य मूल्य :** याचिकाकर्ता ने अपने पास उपलब्ध सूचना के आधार पर मैगनेशियम की उत्पादन लागत का दावा किया है और चीन में वस्तुओं के सामान्य मूल्य के रूप में इस कीमत पर ही विचार करने का अनुरोध किया है।

(ख) **निर्यात कीमत :** याचिकाकर्ता ने वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी. जी. सी. आई. एस.) कलकत्ता एवं खनिज तथा धातु समीक्षा के आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का दावा किया है जो दर्शाता है कि वस्तुओं की निर्यात कीमत अप्रैल, 1996 में 124 रुपये प्रति कि.ग्रा. तथा नवम्बर, 1996 में 81 रुपये प्रति कि.ग्रा. की कीमत रेंज में थी।

(ग) प्रथम दृष्टया इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि चीन में मैगनेशियम के सामान्य मूल्य उस कीमत से काफी ज्यादा हैं जिन पर इनका भारत को निर्यात किया गया है, जिससे प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि चीन के निर्यातकों द्वारा वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है।

5. **क्षति :** याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि भारत में मैगनेशियम के आयात में वृद्धि हुई है एवं इसका क्षमता-उपयोग तथा बिक्री में 1994-95 से गिरावट आई है। याचिकाकर्ता ने चालू वर्ष में क्षमता में करीब 50% की वृद्धि की है, जिसका, याचिकाकर्ता के अनुसार, उपयोग नहीं किया जा सका। यद्यपि याचिकाकर्ता को मैगनेशियम की बिक्री से लाभ होता रहा, लेकिन इसने आरोप लगाया है कि इसके सकल लाभ में गिरावट आई।

मैगनेशियम के आयात भारत में ऐसी कीमत पर पहुंच रहे हैं जिससे कि भारत में मैगनेशियम की घरेलू कीमतों पर पर्याप्त मन्दी तथा/या दबाव वाला प्रभाव पड़ रहा है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न आर्थिक संकेतक, जैसे उत्पादन, बिक्री, बाजार हिस्सा, लाभ/हानि इत्यादि, सामूहिक रूप से और संचयी रूप से यह संकेत देते हैं कि घरेलू उद्योग को वित्तीय क्षति हुई है और उससे वित्तीय क्षति का खतरा भी बना हुआ है।

6. **प्रति पाटन जांच की शुरूआत :** अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी कथित देशों के मूल के या वहां से निर्यात होने वाले सामान के आरोपित पाटन की मौजूदगी, डिग्री और प्रभाव की पाटन रोधी जांच शुरू करते हैं।

7. **जांच की अवधि :** वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच अवधि 1 अप्रैल, 1996 से 31 दिसम्बर 1996 है।

8. **सूचना प्रस्तुत करना :** कथित देशों के निर्यातकों और भारत में ज्ञात संबंधित आयातकों को अलग-अलग लिखा जा रहा है कि वे संगत सूचना और अपनी राय निर्धारित रूप व ढंग से श्री दीपक चटर्जी, निर्दिष्ट प्राधिकारी, वाणिज्य, मंत्रालय, कमरा नं. 243, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को प्रस्तुत कर दें। अन्य हितबद्ध पार्टी भी निर्धारित समयावधि में निर्धारित तरीके से जांच के संबंध में जानकारी प्रस्तुत कर सकती है।

9. **समय सीमा :** वर्तमान जांच से संबंधित सूचना लिखित में भेजी जाए ताकि वह उपर्युक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिन के अंदर पहुंच सके। तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग-अलग लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से चालीस दिन के भीतर जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।

10. ऐसे मामले में जहां इच्छुक पक्ष उचित समय के भीतर आवश्यक सूचना नहीं देता है या सूचना जुटाने के लिए मना करता है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से रुकावट डालता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सुझाव दे सकते हैं।

दीपक चटर्जी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE

Initiation Notification

New Delhi, the 31st July, 1997

Subject : Initiation of anti-dumping investigation concerning import of Magnesium from China.

No. 7/1/97-ADD.—M/s. Southern Magnesium and Chemicals Ltd. on behalf of the domestic industry filed a petition in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) alleging dumping of Magnesium from China and requested for anti dumping investigation and levy of anti dumping duties.

1. **Standing :** The petitioner is the only producer of the subject goods and therefore satisfies the standing to file the petition, on behalf of the domestic industry.

2. **Product Involved :** The Product involved in the present investigation is Magnesium originating in or exported from China PR, classified under custom heading 8104.11 and 8104.19 of the Customs Tariff Act. The classification is, however indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

3 **Like Goods :** The petitioner has alleged that the goods exported from China and being produced by the petitioner are being consumed interchangeably and therefore have characteristics closely resembling each other. Goods produced by the petitioner can, therefore, be treated as like articles to the goods imported from China within the meaning of the Rules.

4. **Dumping and Dumping Margin :**

   (a) **Normal value :** The petitioner claimed normal value based on cost of production of Magnesium in China, constructed on the basis of information available. It has been requested that the same be considered as the normal value of the goods in China.

   (b) **Export price :** The petitioner has claimed export price on the basis of data from the Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics (DGCIS), Calcutta and Minerals and Metals Review, which indicates that the export price of the goods ranged from Rs. 124 per kg. in April, 1996 to Rs. 81 per kg. in Nov., 1996

   (c) There is sufficient prima facie evidence that the normal value of Magnesium in China is significantly higher than the price at which it has been exported to India, indicating, prima facie, that the goods are being dumped by the exporters from China.

5. **Injury :** The petitioner has alleged that imports of magnesium in India have increased and its capacity utilization and sales have declined since 1994-95. The petitioner has added capacity by about 50% in the current year, which has, according to the petitioner, remained unutilised. Though the petitioner continues to make profits from sales of magnesium, it has alleged that its overall profit has declined.

   The imports of magnesium are entering in India at such a price so as to have a significant depressing and/or suppressing effect on the domestic prices of magnesium in India. The various economic indicators relating to domestic industry such as production, sales, market share, profit/loss etc. also collectively and cumulatively, prima facie, indicate that the domestic industry has suffered material injury and the same also pose a threat of material injury.

6. **Initiation of Anti-Dumping Investigation :** The Authority, therefore, initiates anti-dumping investigation into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the said country.

7. **Period of investigation :** The period of investigation for the purpose of present investigations is 1st April, 1996 to 31st December, 1996.

8. **Submission of Information :** The exporters in the said countries and importers in India known to be concerned are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and make their views known to Shri Dipak Chatterjee, Designated Authority, Ministry of Commerce, Udyog Bhavan, New Delhi-110011. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

9. **Time Limit :** Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are, however, required to submit the information within forty days from the date of letter addressed to them separately.

10. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

DIPAK CHATTERJEE, Designated Authority.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997